आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
12.04.2024	**वाद संख्या–08 / 2024** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्री कार्तिक सरदार, पिता–स्व0 परेश सरदार, ग्राम–गोमिया, साई, पो0–हल्दा पोखर, थाना– कोवाली, जिला पूर्वी सिंहभूम अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम उपस्थित। आयोग के सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर ये बता रहे हैं कि शिकायतकर्ता का दो माह को राशन उपलब्ध करा दिया गया है और नियमित राशन उपलब्ध हो इसके लिए नया राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। शिकायतकर्ता दूरभाष पर उपलब्ध नहीं हो पाए। अतः नैसर्गिक न्याय के तहत् शिकायतकर्ता को अपना पक्ष रखने का एक अवसर दिया जा रहा है। अगली सुनवाई तक यदि शिकायतकर्ता का पक्ष नहीं आया तो आयोग ये मानने को बाध्य होगा कि शिकायतकर्ता की समस्या का निदान हो गया है। अगली सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। शिकायतकर्ता का पक्ष आने के बाद आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को यथोचित निदेश निर्गत करेगा। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–29.04.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजें। दिनांक–29.04.2024 को अपराह्न 12:00 बजे रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। D:\Premlata\Court 1.docx25	